<u>व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1, अंबागढ चौकी, जिला राजनांदगांव (छ.ग.)</u>

(पीठासीन न्यायाधीश– अविनाश के0 त्रिपाठी)

<u>उत्तराधिकार प्रकरण क. 01/2018</u>

<u>प्रस्तुत दिनांक : 04.01.2018</u>

1. **बृजलाल सेवता,** आ0 कंवल सिंह सेवता, उम्र–48 साल, जाति गोड,
निवासी ग्राम सांगली, तहसील अं0चौकी,
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

.... आवेदक

।। विरूद्ध ।।

1. शाखा प्रबंधक, देना बैंक, शाखा अं0चौकी,
2. **आम जनता, (जिनका इनसे संबंध हो)**
3. **मिलन सिंह,** आ0 कंवल सिंह सेवता, उम्र–56 साल, जाति गोड,
निवासी ग्राम सांगली, तहसील अं0चौकी,
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)
4. **मीनादेवी,** आ0 कंवल सिंह सेवता, उम्र–55 साल, जाति गोड,
निवासी ग्राम भनसूला, तहसील अं0चौकी,
जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

..............................अनावेदकगण

–:: **आ दे श** ::–

(आज दिनांक **<u>11/02/2019</u>** को पारित)

---

1. आवेदक द्वारा **धारा–372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम** के अंतर्गत आवेदन पत्र मृतक कवल सिंह के नाम पर जमा राशि 3,80,545 रू0 को प्राप्त करने प्रस्तुत किया गया है।

उत्तराधिकार प्रकरण क. 01/2018

2. आवेदक के आवेदन का संक्षेप सार यह है कि, आवेदक के पिता के नाम पर देना बैंक शाखा अं0चौकी में दिनांक 03.12.2017 तक ब्याज सहित कुल 3,80,545 रू0 जमा है। आवेदक के पिता कंवलसिंह सेवता की दिनांक 09.12.2017 को मृत्यु हो गयी, इसके अतिरिक्त आवेदक की माता श्रीमती सीताबाई की भी दिनांक 22. 02.2011 को मृत्यु हो चुकी है। आवेदक के अतिरिक्त अन्य भाई पिलनसिंह एवं बहन मीनाबाई जीवित है। आवेदक के भाई व बहन द्वारा उक्त जमा राशि की निकासी हेतु सहमति पत्र दे दिया गया है तथा राशि निकासी किये जाने की स्थिति में कोई विवाद नहीं होने से उन्हें पक्षकार नही बनाया गया है। आवेदक मृतक कंवल सिंह की वैध संतान होने की वजह से एवं अन्य भाई बहन की आवेदक द्वारा उक्त राशि की निकासी किये जाने की स्थिति में कोई विवाद नहीं होने की वजह से आवेदक को मृतक कंवलसिंह सेवता का वैध उत्तराधिकारी घोषित किये जाने का निवेदन किया है।

3. आवेदन पत्र के संबंध में विधिवत ईश्तहार का प्रकाशन कराया गया है, परन्तु आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।

4. आवेदक द्वारा आवेदन के समर्थन में *अपने पासबुक प्र0पी0 1, सीताबाई का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी0 2, कंवलसिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र प्र0पी0 3, राशन कार्ड प्र0पी0 4, पहचान पत्र प्र0पी0 5, आधार कार्ड प्र0पी0 6* प्रस्तुत किया है तथा अपने पक्ष के समर्थन में स्वयं **बृजलाल (आ0सा0–1),** का शपथपत्रीय साक्ष्य पेश किया गया है तथा अनावेदक मिलन सिंह अना0साक्षी क्रं0 1 तथा मीना देवी अना0साक्षी क्रं0 2 ने अपना शपथपत्रीय साक्ष्य प्रस्तुत किया है।

उत्तराधिकार प्रकरण क. 01/2018

5. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न वाद प्रश्न विरचित किए गए है। जिनके विवेचना उपरान्त प्राप्त निष्कर्ष मेरे द्वारा अंकित किए गए :–

क.	वाद प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या आवेदक मृतक कंवलसिंह का पुत्र होने से के एकमात्र विधिक वारिसान है ?	**''प्रमाणित''**
2	क्या आवेदक मृतक कंवल सिंह के देना बैंक शाखा अं0चौकी, में संचालित खाता में जमा राशि 3,80,545 रू 0 को प्राप्त करने हेतु अपने पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकारी है ?	**''प्रमाणित''**
3	सहायता एवं व्यय ?	**''कंडिका–10 के अनुसार स्वीकार किया गया''**

–: विचारणीय बिन्दु क्रं0 1 एवं 2 पर एक साथ निष्कर्ष :–

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने तथा सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों विचारणीय बिन्दु पर एक साथ निष्कर्ष दिया जा रहा है।

7. आवेदक एवं अनावेदको के शपथपत्रीय साक्ष्य से यह स्वीकृत है कि, आवेदक बृजलाल, मिलनसिंह एवं मीनादेवी, मृतक कंवलसिंह के पुत्र–पुत्री है। कंवलसिंह की मृत्यु दिनांक 09.12.2017 को एवं उसकी पत्नी सीताबाई की मृत्यु दिनांक 22.02. 2011 को होना क्रमशः प्र0पी0 2 सी0 एवं प्र0पी0 3 सी0 से प्रमाणित है। कंवलसिंह की मृत्यु के बाद आवेदक एवं अनावेदकगण के अलावा अन्य कोई उत्तराधिकारी होना प्रमाणित नहीं होता।

8. उभयपक्षों के शपथपत्रीय साक्ष्य से यह भी प्रमाणित है कि, मृतक कंवलसिंह सेवता के खाता कं0 064110010061 में 3,83,829 रू0 जो प्र0पी0 1 सी0 के पासबुक के अनलुसार दिनांक 03.12.2017 की स्थिति में 3,80,545 रू0 जमा है। देना बैंक के द्वारा इस न्यायालय को प्रेषित पत्र दिनांक 06.04.2018 के अनुसार कंवलसिंह के खाते में राशि जमा होने की पुष्टि होती है। इस न्यायालय के मत में मृतक कंवलसिंह सेवता के आवेदक एवं अनावेदकगण पुत्र–पुत्री है, इसलिये बैंक में जमा राशि को संयुक्त रूप से प्राप्त करने के अधिकारी है।

9. जहॉ तक अनावेदक मिलनसिंह एवं श्रीमती मीनादेवी ने उक्त राशि के संबंध में आवेदक के पक्ष में ही उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने सहमति देना शपथपत्रीय साक्ष्य में व्यक्त किया है एवं केवल आवेदक के पक्ष में प्रमाण पत्र जारी करने निवेदन किया है, परन्तु शपथपत्रीय साक्ष्य में ऐसा कोई कारण नहीं दर्शाया है कि, प्रमाण पत्र केवल आवेदक के पक्ष में क्यों जारी किया जावे एवं संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र जारी करने में उन्हें क्या असुविधा होगी। चूॅकि, आवेदक एवं अनावेदगण मृतक के पुत्र पुत्री है एवं उत्तराधिकारी है, इसलिये संयुक्त रूप से पुत्र बृजलाल सेंवता, मिलन सेवता एवं पुत्री श्रीमती मीनादेवी के पक्ष में मृतक कंवलसिंह के उत्तराधिकारी होने का प्रमाण पत्र जारी किया जावे। अतः वादप्रश्न कं0 1 एवं 2 का निष्कर्ष प्रमाणित अंकित किया जावे।

–: **विचारणीय बिन्दु कं0 3 पर निष्कर्ष** :–

10. आवेदक का आवेदन पत्र स्वीकार करते हुये आवेदक बृजलाल, मिलनसिंह एवं श्रीमती मीनादेवी को मृतक कंवलसिंह सेवता के उत्तराधिकारी होना प्रमाणित पाये जाने से तीनों के नाम पर संयुक्त रूप से उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

11. आवेदक एवं अनावेदक कं0 3 एवं 4 कुल जमा **राशि 3,80,545 रू0 (तीन लाख अस्सी हजार पॉच सौन पैतालिस रूपये)** पर **18,278/–रू0** का

<u>उत्तराधिकार प्रकरण क. 01/2018</u>

न्यायशुल्क अदा करने पर संयुक्त रूप आवेदक एवं अनावेदक कं0 3 एवं 4 के पक्ष में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

12. उभयपक्ष अपना–अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

आदेश खुले न्यायालय में दिनांकित, मेरे निर्देशन पर टंकित।

एवं हस्ताक्षरित कर पारित किया गया।

(अविनाश के0 त्रिपाठी)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1
अं0चौकी, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

(अविनाश के0 त्रिपाठी)
व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग–1
अं0 चौकी, जिला–राजनांदगांव (छ0ग0)

स्थान – अं0चौकी,

दिनांक– 11/02/2019